रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936
No. 209] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

IndiaCode

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

का. आ. 287(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, लोक दायित्व बीमा अधियिनम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008" नामक स्कीम बनाई थी;

और, पर्यावरण राहत निधि स्कीम के पैरा 4 के उप पैरा (1) में यह उपबंध किया था कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उक्त स्कीम की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए स्कीम की निधि प्रबंधक होगी;

और, उक्त निधि प्रबंधक की पांच वर्ष की अवधि 3 नवंबर, 2013 को समाप्त हो गई है;

और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी को 31 दिसम्बर, 2014 तक के लिए निधि प्रबंधक के रूप में पुन: नियुक्त किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि उक्त निधि प्रबंधक को 30 जून, 2015 तक की अवधि का विस्तार करना आवश्यक है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण राहत स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उप पैरा (2) के अनुसरण में और उक्त अधिसूचना सां.का. नि. 497(अ), तारीख 10 जुलाई, 2014 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रांत करते हुए 30 जून, 2015 की अवधि के लिए पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के अधीन निधि प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पुन: नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 18-13/91-पीएल-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

S. O. 287(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government framed a scheme, namely, "the Environment Relief Fund Scheme, 2008";

And, whereas, sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008 provided that the United India Insurance Company Limited shall be the Fund Manager of the said scheme for a period of five years from the date of notification of the said scheme;

And, whereas, the five year term of the said Fund Manager expired on 3rd November, 2013;

And, whereas, by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number G.S.R. 497 (E), dated the 10th July, 2014, the Central Government reappointed the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager for a period upto 31st December, 2014;

And, whereas, the Central Government has considered it necessary to extend the term of the said Fund Manager for a period upto 30th June, 2015.

Now, therefore, in pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, and in supersession of the said notification number G.S.R. 497(E), dated the 10th July, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reappoints the United India Insurance Company Limited as a Fund Manager under the Environment Relief Fund Scheme, 2008, for a period up to 30th June, 2015.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.